न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

विकास बनाम हनुमान

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	54/21 धारा आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क्र० उप० समयाभाव के कारण आदेश जारी नहीं किये जा सके अतः पत्रावली पूर्वानुसार आगे आदेश हेतु दिनांक 8/12/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	8/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व० क्र० उपस्थित। प्रा०पत्र आदेश 7 नियम-11 (क) व (घ) तथा धारा-10 एवं सपठित धारा-151 पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) व (घ) खारिज किया जाता है, परन्तु धारा-10 के प्रावधान चस्पा होने से धारा-10 के तहत पूर्व वाद के निस्तारण तक स्थगित की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.30 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 54 / 2021

विकास बनाम हनुमान वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 (क) व (घ) तथा धारा 10 एवं संपठित धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :– (1) श्री मुकेश शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री अजय सैनी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

दिनांकः– 08.12.2022

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–8 की ओर से 18.04.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (क) व (घ) तथा धारा 10 एवं संपठित धारा–151 किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि वादी द्वारा वर्तमान में स्वयं की अन्य भूमि खसरा नंबर 1321 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1333 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर स्थित है। उक्त उनवानी वाद खसरा नंबर – 1334 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1334 / 1925 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें घोषणा, इन्द्राज, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय के समक्ष उक्त आराजीयात के सं[illegible] बनाम लच्छी देवी मुकदमा नंबर– 98 / 2008 [illegible] इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया [illegible] द्वारा एकपक्षीय डिक्री किया गया, जिसकी श्रीमती लच्छी देवी द्वारा मान्य न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी तथा मान्य न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त कर पुनः प्रकरण की सुनवायी के लिए रिमाण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.30 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

गया है, जो विचाराधीन है, दावा के दौरान रामनारायण की मृत्यु हो गयी, उसके स्थान पर उसके वारिसान हनुमान, जमना देवी, राजेश, बिरदी, सीमा, भोरी देवी पत्रावली के रिकॉर्ड पर है। वाद संख्या– 48/2018 में तारीख पेशी दिनांक 19/04/2022 को नियत है। वाद पत्र संख्या– 48/2018 में अंकित तथ्यों के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजीयात रामनारायण द्वारा जरिए विक्रय पत्र क्रय की गयी है, रामनारायण का स्वर्गवास होने पर उसके विधिक वारिस पत्रावली के रिकॉर्ड पर है, यह वाद पत्र संख्या– 54/2021 विकास वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार विकास हनुमान पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण का पुत्र है तथा हनुमान अभी जीवित है तथा हनुमान व रामनारायण के वारिस का वाद संख्या–48/2018 अभी न्यायालय में विचाराधीन है, हनुमान के जीवित रहते हुए हनुमान के पुत्र विकास को वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई उत्तराधिकार औपन नहीं होता है और वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि भी नहीं है। इसलिए विकास को वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का बिनाय दावा उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद पत्र संख्या–54/2021 पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुए विधि द्वारा वर्जित है, जो सबज्यूडिस होने से उसी भूमि के संबंध में नया वाद नहीं लाया जा सकता है, इसलिए विधि द्वारा वर्जित होने से वाद संख्या–54/2021 निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में मान्य न्यायालय के समक्ष हनुमान बनाम लक्ष्मी देवी उनवान से अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या–43/2021 प्रस्तुत की गयी थी, जो दोनों पक्षों की सुनवायी कर दिनांक 24/09/2021 को निरस्त कर दी गयी है। इस तथ्य को छुपाकर वादी विकास ने मान्य न्यायालय के समक्ष विकास बनाम हनुमान वगै0 के उनवान से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना संख्या–41/2021 प्रस्तुत है, अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, जो न्यायालय से तथ्य छुपाकर प्राप्त की गयी है, जो निरस्तनीय है, न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं कर सकता जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.30 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

विचारण करने के लिए सक्षम था और वैसे ही अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में लम्बित है, वहां वाद चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 का जवाब पेश किया, प्रतिवादी को प्रति उपलब्ध करवाई गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा अपने खातेदार कृषि भूमि खसरा नम्बर 205 की सुरक्षा हेतू वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है और कृषि के उपयोग उपभोग में काम आ रही है। माननीय न्यायालय को कृषि भूमि के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। खसरा नम्बर 205 जो कृषि भूमि है इसलिये भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रत्येक खातेदार काश्तकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि अपनी खातेदारी काश्त की भूमि पर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करें। इसलिए वर्णित धारा 11 एवं आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है। वादी / अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्वतः विधि अनुसार एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। जो किसी प्रकार से बोगस लिटिगेशन की श्रेणी में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होन योग्य है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वादी संख्या 48 / 2018 रामनारायण बनाम लच्छी देवी की सत्य प्रतिलिपि व न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) DNJ (Rajasthan) Page 1 Annantpal singh rajaput vs Sumer singh Rajpur, 2004 AIR S.C. 2093 Shipping corporation of India vs Machado Brothers, 2003 AIR- Rajasthan 319 HariRam vs Lichmaniya, 1996 AIR SC - 1733 Municipal Corporation of Delta va Kamla devi, 219 (2) RRT - 1321 Sarsi vs Magniram पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.30 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधि… गई। बहस तथा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना … किया गया। प्रार्थी ने कथन किया है कि वाद पत्र संख्या– 54 / 202… विकास वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार विकास हनुमान पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण का पुत्र है तथा हनुमान अभी जीवित है तथा हनुमान व रामनारायण के वारिस का वाद संख्या–48 / 2018 अभी

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय में विचाराधीन है, हनुमान के जीवित रहते हुए हनुमान के पुत्र विकास को वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई उत्तराधिकार औपन नहीं होता है और वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि भी नहीं है। इसलिए विकास को वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का बिनाय दावा उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद पत्र संख्या–54/2021 पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुए विधि द्वारा वर्जित है, जो सबज्यूडिस होने से उसी भूमि के संबंध में नया वाद नहीं लाया जा सकता है, इसलिए विधि द्वारा वर्जित होने से वाद संख्या–54/2021 निरस्तनीय है।

आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया जिससे स्पष्टरूप प्रार्थना पत्र के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त विवेचन से आदेश 7 नियम 11 प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है।

प्रार्थी ने कथन किया है कि वाद पत्र संख्या–54/2021 पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुए विधि द्वारा वर्जित है, जो सबज्यूडिस होने से उसी भूमि के संबंध में नया वाद नहीं लाया जा सकता है, इसलिए विधि द्वारा वर्जित होने से वाद संख्या–54/2021 निरस्तनीय है। धारा 10 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वाद का रोक दिया जाना। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति वाद संख्या 14/2017 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 48/2018 उनवानी रामनारायण बनाम लच्छी देवी के अवलोकन से स्पस्ट है कि वादी ने समान विषयवस्तु के संबंध में समान पक्षकारान् के विरूद्ध पूर्व वाद के विचाराधीन रहते हुये वाद प्रस्तुत किया है धारा 10 के प्रावधान चस्पा होते है। फलस्वरूप वादी के वाद की कार्यवाही धारा 10 के तहत [illegible] निस्तारण तक स्थगित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.30 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर